[2020] 2 एस.सी.आर. 646

नितेश कुमार पांडे

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य।

(सिविल अपील क्रमांक 1215 ऑफ़ 2020)

फ़रवरी 07,2020

[आर. भानुमति और ए.एस. बोपन्ना, जे.जे.]

पंचायत:

चयन - 'ग्राम रोजगार सहायक' के पद पर - दिनांक 2.6.2012 के दिशानिर्देशों के तहत आयोजित किया जाएगा - जिला रीवा, मध्य प्रदेश के कलेक्टर द्वारा संशोधित समय सारिणी दिनांक 17.6.2014 द्वारा कंप्यूटर दक्षता परीक्षण के लिए प्रदान किया गया - कुछ उम्मीदवारों का' कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर 'चयन सूची' से नाम हटा दिए गए थे - उम्मीदवारों ने रिट याचिका दायर की थी कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा को चयन के मानदंड के रूप में नहीं माना गया था - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका की अनुमति दी - आदेश की आगे पुष्टि की गई रिट अपील के साथ-साथ समीक्षा याचिका में - सुप्रीम कोर्ट में अपील - माना गया: दिनांक 2.6.2012 के दिशानिर्देश पूरे मध्य प्रदेश राज्य पर लागू थे - केवल एक जिले यानी रीवा के संबंध में एक अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करके दिशानिर्देश में बदलाव बिना अधिकार के था - चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पेश किया गया अतिरिक्त मानदंड उचित नहीं था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1.1 यद्यपि दिनांक 2.6.2012 के दिशानिर्देश एक वांछित योग्यता के रूप में कंप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता को संदर्भित करते हैं, वही उसमें दर्शाए गए संस्थानों से कंप्यूटर परीक्षा में ऐसी योग्यता का भी प्रावधान करता है और चयन प्रक्रिया अंकों के असाइनमेंट का

प्रावधान करती है। उक्त दिशानिर्देश संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों पर लागू हैं। कलेक्टर, रीवा, मध्य प्रदेश द्वारा जारी संशोधित समय-सारणी दिनांक 17.6.2014 केवल एक जिले अर्थात जिला रीवा के संबंध में है। [पैरा 11]

1.2 इसलिए, शुरुआत में जब पूरे राज्य में लागू योजना एक सामान्य दिशानिर्देश के तहत बनाई जाती है, तो ऐसे प्राधिकरण के बिना केवल एक जिले के संबंध में अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करके आवश्यकता में परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। इसके अलावा, ग्राम रोजगार सहायक के पद के लिए आवेदन संशोधित दिशानिर्देशों दिनांक 2.6.2012 के अनुसार किया जाना था। दिनांक 17.6.2014 की संशोधित समय-सारणी के अनुसार भर्ती शुरू करने से लेकर चयनित उम्मीदवार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से समय-सीमा प्रदान की गई है। यह उक्त समय-सारणी के तहत है, क्योंकि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसलिए, यह इंगित करेगा कि अतिरिक्त मानदंड चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पेश किए गए हैं और जब पूरे राज्य के संबंध में 2.6.2012 को जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में ऐसी आवश्यकता का संकेत नहीं दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यकता में बदलाव किया गया है, उचित और निर्विवाद है। [पैरा 12]

2.1 कानून में अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने किसी पद को स्वीकार कर लिया है और प्रक्रिया में भाग लिया है, उसे अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति/उम्मीदवार अधिसूचना में किसी आवश्यकता पर ध्यान देता है और भले ही वह आपत्तिजनक हो, तो उसे चुनौती नहीं देता है, लेकिन इसकी जानकारी होने के बावजूद वह उक्त प्रक्रिया में भाग लेता है और प्रक्रिया असफल होने पर एक मौका लेता है, ऐसा व्यक्ति/उम्मीदवार पलट कर उस पर हमला नहीं कर सकता। यद्यपि यह कानून की स्थिति है, कानून की उक्त स्थिति वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी। [पैरा 14]

2.2 वर्तमान मामले में, सबसे पहले, कलेक्टर, रीवा द्वारा जारी संशोधित समय अनुसूची को चयन के सभी मानदंडों को इंगित करने वाली भर्ती अधिसूचना नहीं कहा जा सकता है; लेकिन इसे केवल दिनांकित 2.6.2012 के नए दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के रूप में ही कहा जा सकता है। इसलिए, चयन सूची में पहले से ही शामिल एक उम्मीदवार जो संशोधित समय-सारिणी में दर्शाई गई तारीख पर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुआ है, उसे यह ज्ञान होने के बाद भी उपस्थित नहीं माना जा सकता है कि यह चयन के लिए मूल्यांकन का एक हिस्सा भी होगा और नहीं किया जा सकता है। एक ही आसन पर रखें. यह उस परिस्थिति में और भी अधिक है जिसमें निर्धारित "18% दिसंबर" के कार्यक्रम में लिखा है..... "चयनित उम्मीदवारों और मेरिट सूची के शीर्ष पर रहने वालों की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करना"। इसके अवलोकन से पता चलता है कि संपूर्ण चयन निर्धारित मानदंडों और दिनांक 2.6.2012 के नए दिशानिर्देशों के तहत दिए गए अंकों के आधार पर होगा और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थिति को एक आवश्यकता के रूप में माना जाएगा जो अधिकारियों को सक्षम करेगा। ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन करें जो अन्यथा योग्य है और चयनित सूची में शामिल होने के लिए उपयुक्त पाया गया है या योग्यता सूची में शीर्ष पर है। [पैरा 14]

2.3. इसलिए, केवल समय-अनुसूची में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा की तारीख और उसमें भाग लेने के संकेत को यह नहीं माना जा सकता है कि उम्मीदवार ने इसे स्वीकार कर लिया है ताकि ऐसे उम्मीदवार को प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देने से रोका जा सके यदि ऐसे उम्मीदवार का नाम उसके बाद उसी को आधार मानकर चयन सूची से हटा दिया जाता है। इसलिए मौजूदा मामले में इसे एप्रोबेट और रिप्रोबेट का एक विशिष्ट मामला नहीं माना जा सकता है। [पैरा 15]

अशोक कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य **(2017) 4 एससीसी 357: [2016] 8 एससीआर 815;** *सुभाष चंद्रा और अन्य बनाम दिल्ली*

अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य **(2009) 15 एससीसी 458: [2009]**

12 एससीआर 978 - प्रतिष्ठित।

3. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ रिट अपील और विश्वसनीय मामलों में समीक्षा याचिका में पारित आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत चर्चा की गई है और वहाँ है इससे भिन्न होने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 11]

केस लॉ रेफरेंस

[2009] 12 एससीआर 978	**विशिष्ट**	**पैरा 13**
[2016] 8 एससीआर 815	**विशिष्ट**	**पैरा 13**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2020 की सिविल अपील संख्या 1215

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर प्रकरण क्रमांक WA-533/2018 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.08.2018 से।

साथ

2020 की सिविल अपील संख्या 1216, 1217-1218

अनूप जॉर्ज चौधरी, संतोष पॉल, वरिष्ठ अधिवक्ता। सुश्री जून चौधरी, वी. एलानचेझियान, सुश्री सुमिता चौधरी, विवेक यादव, ए. राधाकृष्णन श्रीहर्ष एन. बुंदेला, सुभ्रांशु दास, अक्षय कुमार, अभय कुमार, राहुल कौशिक, सुश्री भुवनेश्वरी पाठक, सुश्री शिल्पी सत्यप्रिया सत्यम, राहुल खत्री , सलाह, उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए.एस. बोपन्ना, जे.

1. अनुमति स्वीकृत.

2. 2018 की एसएलपी संख्या 27200 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यूए संख्या 509/2018 में अपीलकर्ता था। उक्त रिट अपील में, अपीलकर्ता

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.04.2018 को डब्ल्यू.पी.सं. 1494/2017 एवं W.P.No. 21425/2016 में पारित आदेश की आलोचना कर रहा था। । 2018 की एसएलपी संख्या 28123 से उत्पन्न अपील में अपीलकर्ता मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में डब्ल्यूए संख्या 533/2018 में अपीलकर्ता था। उक्त अपील 2016 के W.P.No.12689 में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 29.07.2016 को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अपीलकर्ता SLP (C) D.No 41845 से उत्पन्न अपील में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष डब्ल्यू.ए. संख्या 207/2017 में अपीलकर्ता था। उक्त अपील का निस्तारण आर.पी.सं. 682/2018 के आदेश दिनांक 06.08.2008 के अनुसार आदेश दिनांक 28.08.2018 द्वारा किया गया। हालाँकि WA संख्या 509 और 533/2018 में पारित दो अलग-अलग आदेश दिनांक 06.08.2018 और WA N0.207/2017 में दिनांक 28.08.2018 के आदेश की इन अपीलों में आलोचना की गई है, क्योंकि मुद्दा आम है और सभी रिट अपीलों का निपटारा कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेशों पर भरोसा करते हुए, इन अपीलों को एक साथ लिया गया, सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले की पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक पद पर चयन से जुड़ा है. हालाँकि यह मुद्दा वर्तमान में रीवा जिले में चयन प्रक्रिया में अपनाई गई पद्धति से संबंधित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ('मनरेगा' संक्षेप में) के कार्यान्वयन के लिए ग्राम रोजगार सहायक की ऐसी भर्ती के लिए यह योजना पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू है। पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मामले का निर्णय उसी पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह मुद्दा वर्तमान में रीवा जिले में चयन प्रक्रिया तक सीमित है, जिसमें अपनाई गई पद्धति पर हमला किया गया है, यह देखा गया है कि उसी प्रक्रिया से संबंधित रिट याचिकाओं के एक बैच पर पहले 15.07.2016 के आदेश के माध्यम से एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था और W.P.No.17183/2014 और इसी तरह के मामलों वाली रिट याचिकाओं की अनुमति दी थी। उक्त आदेश को चुनौती

W.A.No.479/2016 में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश और R.PNo. 682/2018 में दूसरी समीक्षा याचिका के माध्यम से समाप्त हो गई थी। उस परिस्थिति में, चूंकि वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखी गई दलीलें उक्त मामलों के समान थीं, इसलिए हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने डब्ल्यूए संख्या 509 / 2018, 533/2018 एवं W.A No.207/2017 वाली उक्त रिट अपील को खारिज कर दिया था। इसलिए, व्यथित होने का दावा करने वाले अपीलकर्ता इन अपीलों में इस अदालत के समक्ष हैं।

4. सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि यहां अपीलकर्ताओं से संबंधित रिट अपील में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 और 28.08.2018 को चुनौती दी गई है, लेकिन जिस आदेश पर भरोसा किया गया है उसमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्क शामिल हैं। इन अपीलों में हमला नहीं किया गया। इसके अलावा पहले के आदेश के खिलाफ एसएलपी पहले ही खारिज हो चुकी है। जैसा भी हो, चूंकि यहां जिस मुद्दे का आग्रह किया गया है वह उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को दी गई राहत को चुनौती देना है, इसलिए शुद्धता या अन्यथा पर विचार उसी संबंध में किया जाना है।

5. अपीलकर्ताओं के लिए संबंधित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनूप जी चौधरी, सुश्री जून चौधरी और श्री सत्यम रेड्डी, निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष पॉल और विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कौशिक मध्य प्रदेश राज्य को सुना गया। उस आलोक में हमने अपील पत्रों का भी अवलोकन किया है।

6. संक्षिप्त तथ्य यह है कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने ग्राम रोजगार सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उक्त नियुक्ति मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित एक पंजीकृत संस्था है, द्वारा जारी दिनांक 02.06.2012 के नये दिशानिर्देशों के अनुसार की जानी थी। उसी के अनुसार, एमजीएनआरईजी योजना के तहत प्रति पंचायत एक ग्राम रोजगार सहायक नियुक्त किया जाना था। उक्त दिशानिर्देश उन योग्यताओं के लिए प्रदान किए गए थे जिन्हें (ए) अनिवार्य

योग्यता और (बी) वांछित योग्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्दिष्ट अनिवार्य योग्यताएँ बुनियादी शिक्षा योग्यताओं के संबंध में थीं और वांछित योग्यताओं के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन में उल्लिखित किसी एक संस्थान से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का उल्लेख था। उक्त दिशानिर्देशों के खंड (8) में चयन प्रक्रिया के संबंध में भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उप-खंड (8) में बताए गए प्रत्येक मानदंड के तहत अधिकतम अंक प्रदान करने का प्रावधान है। जहाँ तक कंप्यूटर परीक्षा की बात है, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पास प्रमाणपत्र का नाम उसमें दिया गया है और उसके तहत अधिकतम अंक "50" प्रदान किए गए हैं।

7. यद्यपि चयन प्रक्रिया दिनांक 02.06.2012 के दिशानिर्देशों के तहत प्रदान किए गए मानदंडों और मूल्यांकन की पद्धति के आधार पर आयोजित की जानी थी, कलेक्टर, रीवा, मध्य प्रदेश के कार्यालय ने ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती के लिए एक संशोधित समय अनुसूची जारी की, दिनांक 02.06.2012 17.06.2014 और भर्ती शुरू करने की तारीख इस प्रकार इंगित की गई थी ... "20 जून, 2014 से पहले"। इसी प्रकार, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए कार्यक्रम का संकेत दिया गया। संशोधित समय-सारणी के क्रम संख्या 9 पर, चयनित उम्मीदवारों और मेरिट सूची के शीर्ष पर मौजूद उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करने की बाहरी तारीख का संकेत दिया गया था, जो 18 सितंबर से पहले आयोजित की जानी थी। उसी के अनुसरण में, प्रक्रिया आयोजित की गई लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन सूची से हटा दिया गया। चूँकि दिनांक 02.06.2012 के नए दिशानिर्देशों के तहत चयन के लिए कंप्यूटर दक्षता परीक्षा को एक मानदंड के रूप में नहीं माना गया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाओं के उक्त बैच में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इसे चुनौती दी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि योजना को पढ़ने से पता चलता है कि चयन प्रक्रिया और अंक देने की पद्धति में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और ऐसे परीक्षण से उत्पन्न अंक शामिल नहीं हैं। रिट याचिकाकर्ता

मेधावी थे और उनका नाम मेरिट सूची में था, लेकिन कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के अंक शामिल किए गए थे। उस स्थिति को देखते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं को चयन सूची से बाहर कर दिया गया, जो उचित नहीं था। उस संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने ध्यान दिया था कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पद्धति में बदलाव किया गया था जो स्वीकार्य नहीं है। यह माना गया कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा को बीच में ही शुरू करना तय कानूनी स्थिति के विपरीत था और इस तरह कंप्यूटर दक्षता परीक्षा निर्धारित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया गया, जो सामान्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है। तदनुसार, रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई। जिन उम्मीदवारों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित होने के कारण चयन प्रक्रिया में लाभ हुआ था, उन्होंने व्यथित होने का दावा करते हुए रिट अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा बताए गए कारणों से सहमति व्यक्त की और रिट अपीलों को खारिज कर दिया। समीक्षा याचिकाएं R.PNo.611/16,612/16 और संबंधित मामलें भी दिनांक 17.10.2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दी गईं, मेधावी उम्मीदवारों की सुरक्षा से संबंधित कुछ टिप्पणियों को छोड़कर, जो कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के लिए भी उपस्थित हुए थे। कुछ अपीलकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर विशेष अनुमति याचिकाएँ भी खारिज कर दी गई थीं।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि एमजीएनआरईजी योजना के कार्यान्वयन के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग में कौशल की आवश्यकता है क्योंकि पूरी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत थी और उसी से संबंधित कंप्यूटर चलाने में दक्षता रखने वाले व्यक्ति द्वारा विभिन्न कार्यों को केवल लागू किया जा सकता था। उस दृष्टिकोण में यह तर्क दिया गया था, जब ग्राम रोज़गार सहायक को ऐसा कार्य करना था, तो कंप्यूटर दक्षता का परीक्षण किया जाना एक पहलू था, जो चयन प्रक्रिया का एक हिस्सा था और इसलिए, उस परिस्थिति में जब कलेक्टर का कार्यालय था

कंप्यूटर दक्षता परीक्षा को एक मानदंड के रूप में शामिल करने के निर्णय के बाद, उच्च न्यायालय को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यह संतोषप्रद है कि संशोधित समय-सारणी 17.06.2014 को जारी की गई थी और प्रक्रिया 20.06.2014 को शुरू हुई थी, इसलिए, प्रक्रिया शुरू होने के बाद परिवर्तन पेश नहीं किया गया था। इस दृष्टिकोण से, यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ता कार्यक्रम के बारे में जानते हुए भी, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुए थे और गुणवत्ता में असफल होने के बाद उसे चुनौती देने के लिए नहीं आ सकते। यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है, जिसे उच्च न्यायालय ने नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए, पारित आदेश इंक्यूरियम के अनुसार माना जाएगा।

10. निजी प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराने की कोशिश करेंगे। यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर, रीवा जिले ने अपनी शक्तियों से आगे बढ़कर एक मानदंड पेश किया था, जिस पर दिनांक 02.06.2012 के नए दिशानिर्देशों में विचार नहीं किया गया था। यह बताया गया है कि दिनांक 02.06.2012 के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम से संबंधित वांछित योग्यता निर्दिष्ट संस्थानों से होनी चाहिए और उस मानदंड के तहत अंक प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया था जो दिशानिर्देशों के तहत चयन के लिए निर्धारित मानदंड है और ऐसा नहीं किया गया है। दक्षता परीक्षण के लिए प्रावधान करें. चयन प्रक्रिया उक्त दिशानिर्देशों और संशोधित समय अनुसूची के अनुसार शुरू हो गई थी, जिसके तहत कंप्यूटर दक्षता परीक्षा शुरू की गई थी, जो पहले ही शुरू हो चुकी प्रक्रिया में बदलाव है। इसलिए उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित था कि यह विवाद है। आगे यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं को कार्रवाई को चुनौती देने से नहीं रोका गया क्योंकि संशोधित समय अनुसूची में केवल यह संकेत दिया गया था कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा चयनित उम्मीदवारों और मेरिट सूची में शीर्ष पर रहने वालों के लिए थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधित समय सारिणी में चयन सूची में

शामिल होने के लिए पूर्व शर्त के रूप में कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में योग्यता निर्दिष्ट नहीं की गई थी। रिट याचिकाकर्ता पहले से ही चयन सूची में थे। मेरिट सूची से बाहर किए जाने का भी उसमें संकेत नहीं दिया गया है और इसलिए, उस प्रकाश में रिट याचिकाकर्ताओं ने कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान किसी भी मानदंड को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि इसे केवल चयन सूची के बाद की प्रक्रिया के रूप में दिखाया गया था। किसी भी घटना में उच्च न्यायालय ने उक्त पहलू पर ध्यान दिया है, दलीलों को संबोधित किया है और उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है और इसलिए, आदेश को तर्क के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

11. विवाद के आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ अमित कुमार मिश्रा और अन्य से संबंधित मामलों में रिट अपील और समीक्षा याचिका में पारित आदेश का अवलोकन यह संकेत देगा कि एक विस्तृत उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई है और हमें इससे असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। इस संबंध में हमने दिनांक 02.06.2012 के नये दिशानिर्देश देखे हैं। यद्यपि उक्त दिशानिर्देश वांछित योग्यता के रूप में कंप्यूटर ज्ञान की आवश्यकता को संदर्भित करते हैं, लेकिन इसमें दर्शाए गए संस्थानों से कंप्यूटर परीक्षा में ऐसी योग्यता का भी प्रावधान है और चयन प्रक्रिया अंकों के असाइनमेंट के लिए प्रदान करती है जिसे निकाल लिया गया है और नोट कर लिया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश. उक्त दिशानिर्देश पूरे मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों पर लागू हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने पुष्टि की है। कलेक्टर, रीवा, मध्य प्रदेश द्वारा जारी संशोधित समय-सारणी दिनांक 17.06.2014 केवल एक जिले अर्थात् जिला रीवा के संबंध में है।

12. इसलिए, शुरुआत में जब पूरे राज्य में लागू होने वाली योजना एक सामान्य दिशानिर्देश के तहत बनाई जाती है, तो ऐसे प्राधिकरण के बिना केवल एक जिले के संबंध में अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करके आवश्यकता में परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। इसके अलावा,

ग्राम रोजगार सहायक के पद के लिए आवेदन दिनांक 02.06.2012 के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना था। दिनांक 17.06.2014 की संशोधित समय-सारणी के अनुसार भर्ती शुरू करने से लेकर चयनित उम्मीदवार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनिवार्य रूप से समय-सीमा प्रदान की गई है। उक्त समय-सारणी के तहत कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। इसलिए, यह इंगित करेगा कि अतिरिक्त मानदंड चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पेश किए गए हैं और जब पूरे राज्य के संबंध में दिनांक 02.06.2012 को जारी किए गए नए दिशानिर्देशों में ऐसी आवश्यकता का संकेत नहीं दिया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद आवश्यकता में बदलाव किया गया है, उचित और निर्विवाद है।

13. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए कि कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में भाग लेने वाले रिट याचिकाकर्ताओं को बाद में कोई भी शिकायत उठाने से रोक दिया गया है, ***अशोक कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2017) 4 एससीसी 357*** के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजबूत निर्भरता रखी है जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:-

> 13. इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस विषय पर कानून को स्पष्ट किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला मामले में, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जाती है। उस परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता जहां कोई उम्मीदवार उपस्थित हुआ हो और भाग लिया हो। वह बाद में पलट कर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई कमी थी, केवल इसलिए कि परिणाम सुखद नहीं है। भारत संघ बनाम एस विनोद कुमार में, इस अदालत ने कहा कि:

"18. यह भी अच्छी तरह से तय है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानते हुए भाग लिया था, वे इस पर सवाल उठाने के हकदार नहीं थे। (मुनींद्र कुमार बनाम राजीव गोविल और रश्मी मिश्रा बनाम एमपी लोक सेवा आयोग देखें।)"

उस प्रकाश में यह तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ***सुभाष चंद्रा और अन्य बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य*** (2009) 15 एससीसी 458 के मामले में माना है कि बाध्यकारी मिसाल की अनदेखी में दिया गया निर्णय प्रति इंक्यूरियम में दिए गए निर्णय के रूप में आयोजित किया जाता है।

14. उद्धृत निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि कानून में अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति ने एक पद ग्रहण कर लिया है और प्रक्रिया में भाग लिया है, उसे अनुमोदन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह एक नियम है कि यदि कोई व्यक्ति/उम्मीदवार अधिसूचना में किसी आवश्यकता पर ध्यान देता है और भले ही वह आपत्तिजनक हो, तो उसे चुनौती नहीं देता है, लेकिन इसकी जानकारी होने के बावजूद उक्त प्रक्रिया में भाग लेता है और असफल होने पर एक मौका लेता है। इस प्रक्रिया में ऐसा व्यक्ति/उम्मीदवार पलटकर उस पर हमला नहीं कर सकता। यद्यपि यह कानून की स्थिति है, कानून की उक्त स्थिति वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी क्योंकि मौजूदा मामले में तथ्य समान नहीं हैं। अशोक कुमार के उद्धृत मामले में, यह ऐसी स्थिति थी जहां पहले लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के बाद लिखित परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें याचिकाकर्ता जो पहले परीक्षा में शामिल हुआ था, उसने जानबूझकर एक बार फिर अधिसूचित परीक्षा में उपस्थित होकर प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसके बाद उसने चुनौती दी थी, जो अनुमोदन और पुनरुद्धार का स्पष्ट मामला था। दूसरी ओर, मौजूदा मामले में, सबसे पहले, कलेक्टर, रीवा द्वारा जारी संशोधित समय अनुसूची को चयन के सभी मानदंडों को इंगित करने वाली भर्ती अधिसूचना नहीं कहा जा सकता है; लेकिन इसे केवल दिनांक 02.06.2012 के

नए दिशानिर्देशों के तहत प्रदान की गई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय-सारणी के रूप में ही कहा जा सकता है। इसलिए, चयन सूची में पहले से ही शामिल एक उम्मीदवार जो संशोधित समय-सारिणी में दर्शाई गई तारीख पर कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में उपस्थित हुआ है, उसे यह ज्ञान होने के बाद भी उपस्थित नहीं माना जा सकता है कि यह चयन के लिए मूल्यांकन का एक हिस्सा भी होगा और नहीं किया जा सकता है। एक ही आसन पर रखें. यह उस परिस्थिति में और भी अधिक है जिसमें "18 दिसंबर" के लिए निर्धारित कार्यक्रम में लिखा है... "चयनित उम्मीदवारों और योग्यता सूची में शीर्ष पर रहने वालों की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा आयोजित करना"। इसके अवलोकन से पता चलता है कि संपूर्ण चयन निर्धारित मानदंडों और दिनांक 02.06.2012 के नए दिशानिर्देशों के तहत दिए गए अंकों के आधार पर होगा और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थिति को एक आवश्यकता के रूप में माना जाएगा जो अधिकारियों को सक्षम करेगा। ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन करें जो अन्यथा योग्य है और चयनित सूची में शामिल होने के लिए उपयुक्त पाया गया है या योग्यता सूची में शीर्ष पर है।

15. इसलिए, उस परिस्थिति में, समय-अनुसूची में कंप्यूटर दक्षता परीक्षण की तारीख का संकेत और उसमें भाग लेने मात्र को यह नहीं माना जा सकता है कि उम्मीदवार ने इसे स्वीकार कर लिया है ताकि ऐसे उम्मीदवार को प्रतिवादी की कार्रवाई को चुनौती देने से रोका जा सके। यदि उसके बाद उसी को आधार मानकर ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन सूची से हटा दिया जाता है। इसलिए मौजूदा मामले में इसे एप्रोबेट और रिप्रोबेट का एक विशिष्ट मामला नहीं माना जा सकता है। उस दृष्टिकोण से चूंकि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को उस निर्णय पर ध्यान देते हुए संबोधित किया है जो उसके सामने उद्धृत किया गया था और उसके बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है, अशोक कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्णय पर भरोसा किया गया था और अन्य को कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उच्च न्यायालय का निर्णय तर्क के अनुरूप नहीं है।

16. इसके अलावा जो बात ध्यान से नहीं बच सकती वह यह भी है कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्हें याचिकाकर्ताओं के समान ही रखा गया था, उन्होंने पहले ही एसएलपी नंबर 3239-3242/2017 में इस अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें समीक्षा याचिका में फैसले पर भरोसा किया गया था, लेकिन यह कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी हैं. इसलिए, मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें यहां दिए गए आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।

17. बहस के दौरान, अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने समीक्षा याचिका में डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2016 में निहित कुछ टिप्पणियों का भी उल्लेख किया, जहां मेधावी उम्मीदवारों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। दिनांक 02.06.2012 की पॉलिसी के तहत चयनित। उस संबंध में हमें विज्ञापन देना या कोई टिप्पणी करना उचित नहीं लगता क्योंकि हम पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि लागू आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. तदनुसार अपीलें लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं। यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील खारिज।

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।